न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2 / 2021(राजसमन्दआर्डर)

1. दिनेश पिता लक्ष्मण कुमावत, निवासी धोईन्दा, तहसीलवजिला राजसमन्द (राज.)
2. अशोक पिता लक्ष्मण कुमावत, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. शान्तादेवी पत्नी पिता लक्ष्मण कुमावत, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रामचन्द्र पिता केशुजी कुमावत, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. जरिये सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि., राजसमन्द

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णयसहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारीराजसमन्द प्रकरण सं॰32 / 2012 दिनांक24.11.2020

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री मुकेश तलेसराअभिभाषकअपीलान्टगण
2. श्री एस. एल. लढ्ढा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. श्री मनीष जोशी अभिभाषक रेस्पोान्डेन्ट सं. 1

———::———

निर्णयदिनांक 27–09–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दीका प्रस्तुत कर निवेदन किया किराजस्व ग्राम धोईन्दा में आराजी नंबर 3411 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थीगण के सहखातेदारी की भूमि होकर प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ने सन् 1993 से पूर्व एक कुआ खुदवा रखा है और मौके पर कायम है। उक्त कुए में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्वा व 1/4 हिस्सा मोहन पिता केशु का है एवं इसी अनुसार पक्षकारान उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण की बिना स्वीकृति के फर्जी तरीके से विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया, जिसके आधार पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह अवैध होकर प्रार्थीगण के हक अधिकारों के विपरीत है, क्योंकि इससे सारा पानी विपक्षी संख्या 1 द्वारा दोहन किया जायेगा। अतः विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 कुए का कनेक्शन अकेले के नाम पर नहीं लेवे तथा विपक्षी संख्या 2 विद्युत संबंध जारी नहीं करें।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय नेउभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24–11–2020 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्रखारिज कर दिया। रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 11–01–2021 को इस न्यायालय मे यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:49:30 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एल. लढ्ढा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जोशी उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय नेपत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि पर कुंआ संयुक्त रूप से अपीलान्ट के पिता व विपक्षी के भाईयों ने खुदवाया था एवं उक्त कुंए की कीमत तय करते हुए अपीलान्ट के पिता को शंकरलाल पिता केशुलाल अपना 1/4 हिस्सा विक्रय इकरार दिनांक 06–05–1993 को निष्पादित कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त कुंए में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

विद्वानअभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि अनुसार बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RRD 1979 Page 373, RRD 1977 Page 374,RRD 1987 Page 330 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 अनुसार अपीलान्ट का विवादित आराजी नंबर 3411 में 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा विद्युत वितरण निगम द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसके अनुसार दिनांक 27.02.2012 को विद्युत कनेक्शन जारी किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 22.03.2012 को दर्ज किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र दर्ज करने के पूर्व ही विद्युत कनेक्शन जारी हो चुका है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानते हुए उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–11–2020यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:49:30 IST
Reason: SelfAttested